

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,  
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,  
लखनऊ।

संख्या: 12/09 कम्प्यूटर-अनुभाग/2015/125 एस०सी०/2015

लखनऊ: दिनांक : 17 नवम्बर, 2015

आवश्यक सूचना

आशुलिपिक (सामान्य चयन) परीक्षा 2015 की दिनांक 26 जुलाई, 2015 को सम्पन्न लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी में दिये गए उत्तरों की संवीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि उत्तर कुंजी में चार प्रश्नों के उत्तर गलत दिये गए हैं। प्रश्नगत परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 0.5 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार चार प्रश्नों के गलत उत्तर के रूप में पायी गयी चार गलतियों पर कट-आफ मेरिट में 02 (दो) अंक का अंतर आता है। उक्त गलतियों का संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित सारणी-1 तथा सारणी-2 के स्तम्भ-2 में उल्लिखित श्रेणियों के सम्मुख अंकित न्यूनतम कट-आफ मेरिट, जिसका उल्लेख सारणी के स्तम्भ-3 में किया गया है, में प्रत्येक श्रेणी की न्यूनतम कट-आफ मेरिट में दो अतिरिक्त अंक जोड़ते हुए स्तम्भ-4 में संशोधित न्यूनतम कट-आफ मेरिट निर्धारित की जाती है:-

आशुलिपिक (सामान्य चयन) परीक्षा, 2015

न्यूनतम कट-आफ मेरिट

सारणी-1

क्रम संख्या	श्रेणी	पूर्व में निर्धारित कट-आफ मेरिट	संशोधित कट-आफ मेरिट
1	2	3	4
(i)	अनारक्षित	18.0 अंक	20.0 अंक
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग	18.0 अंक	20.0 अंक
(iii)	अनुसूचित जाति	18.0 अंक	20.0 अंक
(iv)	अनुसूचित जनजाति	13.0 अंक	15.0 अंक

क्षैतिज आरक्षण

न्यूनतम कट-आफ मेरिट

सारणी-2

क्रम संख्या	श्रेणी	पूर्व में निर्धारित कट-आफ मेरिट	संशोधित कट-आफ मेरिट
1	2	3	4
(i)	विकलांगजन	17.5 अंक	19.5 अंक
(ii)	स्व०संग्राम सेनानी के आश्रित	16.5 अंक	18.5 अंक
(iii)	भूतपूर्व सैनिक	12.0 अंक	14.0 अंक
(iv)	महिला	18.0 अंक	20.0 अंक

अतः आशुलिपिक (सामान्य चयन) परीक्षा 2015 के अंतर्गत आशुलिपिक पदों पर चयन हेतु सम्पन्न लिखित परीक्षा की न्यूनतम कट-आफ मेरिट उपर्युक्त सारणी-1 व सारणी-2 में प्रत्येक श्रेणी के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित अंक को पढा जाये।

  
सचिव

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,  
लखनऊ।